न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 16 / 2020–21

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
5/4/22	आवेदक श्री मंगल मुण्डा, रंजीत मुण्डा दोनो पिता –स्व0 हड़बड मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम– बसिया, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि द्वितीय पक्ष (क्रेता) देवदत बड़ाईक पिता श्री सकुल बड़ाईक ग्राम ईटाम थाना बसिया को बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।	

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म
बसिया	50	41	1727 1731	0.22 ए0 में से 0.01 ए0 भूमि 0.08 ए0 में से 0.03 ए0 भूमि	टाम टाड़ |

कुल रकबा 0.04 एकड़ भूमि।

आवेदित भूमि पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए अंचल अधिकारी, बसिया को भूमि का जॉच करने हेतु पत्र प्रषित हुए आवेदित भूमि पर आपति सम्बंधी आम नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल बसिया से जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है। उक्त अनुमति वाद में मंगल मुण्डा, राम मुण्डा, बुधु मुण्डा के द्वारा आपत्ति सम्बंधी आवेदन प्राप्त है।

आवेदक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वय उपस्थित होकर उक्त दाखिल अनुमति वाद को रद् करने हेतु आवेदन प्राप्त है।

अतः प्राप्त अनापत्ति पत्र आवेदन एवं उक्त अनुमति वाद के आवेदक द्वारा अनुमति वाद को रद् करने सम्बंधी प्राप्त आवेदन के आलोक में उक्त दाखिल अनुमति वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संषोधित।

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.08.12 14:32:26 +05:30
Location: 192.168.0.112